(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 80–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 311/2009–10/अपील

.....

रघुवीर सिंह आ0 श्री जुगराजसिंह
निवासी ग्राम तुलसीपार तहसील सिलवानी
जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मानसिंह आ0श्री मेहरवानसिंह
2–विजय सिंह आ0 श्री मेहरवानसिंह
3–हरचरण आ0श्री डमरू
4–माधो सिंह आ0बाबूलाल
5–मोहनसिंह आ0श्री हल्केवीर
निवासीगण ग्राम तुलसीपार तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0
6–मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक– आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 1/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–12–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार बम्होरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम तुलसीपार की भूमि सर्वे कमांक 63/1 रकबा 0.44 पर अनावेदक कमांक 2 एवं सर्वे कमांक 69 के रकबा 0.19 हेक्टेयर पर अनावेदक

कमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सर्वे कमांक 69 रकबा 0.19 के 0.02 एकड़ पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया साथ ही अनावेदक कमांक 3 द्वारा भी परछान बनाकर 0.01/2 एकड़ पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–70/2006–07 दर्ज कर दिनांक 5–9–09 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन का कब्जा अनावेदक कमांक 1 व 2 को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–2–2010 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्षप को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर गुणदोष पर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–12–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया व तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 2 द्वारा कभी भी अपनी भूमि के सीमांकन बावत् कोई भी आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा वापिसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है । इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(2) सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही जिस प्रतिवेदन पर आधारित है वह प्रतिवेदन ही अस्पष्ट होकर त्रुटिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत

बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि सीमांकन प्रतिवेदन में यह नहीं दर्शाया गया है कि किस भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है ।

(3) संहिता की धारा 46(घ) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध केवल निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । इसके बावजूद भी अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 46(घ) के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(4) यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना हुआ है और मकान पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है ।

(5) सीमांकन में ओवदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः ऐसा सीमांकन प्रारंभ से ही अवैधानिक होकर शून्यवत् है ।

(6) सीमांकन की कार्यवाही नक्शे में बिना बटांन अंकित किये की गई है जो कि संभव नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 2006 आरएन 218, 1975 आरएन 175 व 159, 1981 आरएन 83 एवं 1998 आरएन 16 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है जिसमें अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है और उसके द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने के उद्देश्य से निरन्तर कार्यवाही की जा रही है जो कि उचित नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन में अनावेदक का कब्जा प्रमाणित पाया गया है और आवेदक के द्वारा अपने स्वत्व के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, क्योंकि आवेदक की ओर से प्रस्तुत विकयनामा की छायाप्रतियॉ प्रमाणित दस्तावेज नहीं है । आवेदक का कब्जा तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन आदेश दिनांक 20–5–2007 से

संहिता की धारा 129 के तहत अनाधिकृत हो गया है, अतः यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि आवेदक का अनावेदकगण की भूमि पर अवैध कब्जा है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर